

कार्यालय :- जिला भी0बी0डी0 पदाधिकारी, गढ़वा ।

(अति अल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना)

पत्रांक 173

गढ़वा, दिनांक 24-11-2020

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (भी0बी0डी0) झारखण्ड, राँची के निर्देशानुसार दीर्घ कालिन उपचारित किटनाशीयुक्त मच्छरदानी (Long Lasting Insecticidal Nets) का उठाव राज्य मुख्यालय नामकुम, राँची/लातेहार से किया जाना है, तथा उठाव उपरांत गढ़वा जिलान्तर्गत संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों को वितरण हेतु भेजा जाना है। उक्त परिपेक्ष्य में परिवहन व्यय (इंधन सहित) प्रति किलोमीटर तथा लॉडिंग एवं अनलॉडिंग प्रति बोरा व्यय का दर निर्धारण हेतु प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर्स/मालवाहक मालिकों/परिवहन कर्ता/इक्छुक फॉर्मो/एजेंसियों से निर्धारित तिथि में निम्न शर्तों के साथ अति अल्पकालिन निविदा आमंत्रित की जाती है।


S.N	PARTICULARS	UNIT	RATE PER KM
01	Truck 12 Wheel	-	
02	Mini Truck	-	
03	Bolero Pick - Up	-	
04	Loading – Unloading Charge Per Bundle (Weight 25kg to 30 Kg Per Bundle)	02	

निविदा की शर्तें :-

- निविदा प्रकाशित तिथि से 04/12/2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक कार्य दिवस में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा जिला भी0बी0डी0 पदाधिकारी, सदर अस्पताल गढ़वा पिन कोड - 822114 के नाम से प्राप्त किया जायेगा।
- प्राप्त निविदा को गठित जिला क्रय समिति के समक्ष दर निर्धारण हेतु दिनांक 05/12/2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सिविल सर्जन कार्यालय, सभाकक्ष में खोला जायेगा, जिसमें निविदाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- परिवहन व्यय इंधन सहित प्रति किलोमीटर अंक एवं शब्दों में साफ - साफ अंकित करना अनिवार्य होगा, जो जी0एस0टी0 सहित होगा।

Handwritten signature and date
24/11/20

04. लोडिंग – अनलोडिंग का व्यय प्रति बैग (Bundle) अंक एवं शब्दों में साफ – साफ अंकित करना अनिवार्य होगा।
05. निविदादाता को काली सूचि में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
06. निविदादाता को मालवाहक गाड़ी का परिचालन हेतु सभी Commercial वैद्य कागजात Insurance, Road Tax & Registration Paper का होना अनिवार्य होगा।
07. निविदाता विगत तीन वर्षों 2017 – 18, 2018 – 19 एवं 2019 – 20 का आयकर Return कि प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
08. निविदा का जी0एस0टी0 प्रमाण – पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
09. यह निविदा का मान्यता अगले निविदा होने तक मान्य होगा।
10. किसी भी वाद – विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र गढ़वा जिला होगा।
11. निविदा को किसी भी समय बिना कारण बतायें रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।


जिला भी0बी0डी0 प्रदाधिकारी,
गढ़वा।